DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA

FAMILY BENEFIT INSURANCE SCHEME POLICY (TEACHERS, OFFICERS AND EMPLOYEES)

Dr.HarisinghGourVishwavidyalaya,
Sagar (M.P.)
(A Central University)

1:31:(16): **With the permission of the Chair, Prof. H. Thomas, Director, Research and Development (DoRD) presented the following policy documents for consideration by APC:-**

1. Policy on Internal Complaints Committee.
2. Policy on Environment and Sustainable Development.
3. Policy on Academic Audit.
4. Policy on Advance Learners and Slow Learners.
5. Innovations & Start-Up Policy (GISP)
6. University IT Policy.
7. Policy for Maintaining and Utilization Physical, Academic and Support Facilities.
8. Library Policy.
9. Scholarship Policy.
10. HR Policy.
11. E-Governance Policy.
12. Group Health Insurance Policy.
13. In-Campus House/Flat Allotment Policy.
14. TA & DA Policy.
15. Non-Teaching Staff Appraisal Policy.
16. Finance Policy.
17. Code of Conduct and Ethics Policy.
18. NCC Policy.
19. NSS Policy.
20. Health Care Facilities and Sanitation Policy.
21. Outreach Program Policy.
22. Student Cultural Policy.
23. Water Conservation Policy.
24. NEP-2020 Implementation Policy.
25. Sports Policy.
26. Anti Ragging Policy.
27. Rajbhasha Policy.
28. Credit Bank Transfer Policy.
29. Examination Policy.
30. Training and Placement Policy.

Resolution:- The APC after due deliberations resolved to approve the aforesaid policies.

(Action:DoAA, DoRD, CoE, FO, All the Deans of Schools & HoDs)

The Meeting ended with vote of thanks to the Chair.

Satish Kumar
Deputy Registrar
Academic Affairs &
Secretary, APC

संचालक (अनु. एवं विकास)
Director (R & D)
डॉ.हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,सागर
Dr.H.S.Gour Central University,Sagar

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA

(A Central University)

स्व परिवार कल्याण निधि योजना नीति
(शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी)

FAMILIY BENEFIT INSURANCE SCHEME POLICY
(TEACHERS, OFFICERS AND EMPLOYEES)

स्व परिवार कल्याण निधि योजना

FAMILIY BENEFIT INSURANCE SCHEME

सागर – 470003 (म.प्र.)

SAGAR – 470003 (M.P.)

संचालक (अनु. एवं विकास)
Director (R & D)
सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर
Gour Central University,Sagar

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA
(A Central University)

स्व परिवार कल्याण निधि योजना नीति
(शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी)

FAMILIY BENEFIT INSURANCE SCHEME POLICY
(TEACHERS, OFFICERS AND EMPLOYEES)

स्व परिवार कल्याण निधि योजना

FAMILIY BENEFIT INSURANCE SCHEME

सागर – 470003 (म.प्र.)

SAGAR – 470003 (M.P.)

रविवार, दिनांक 24 जनवरी, 1988 को आयोजित डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक का कार्यवाही विवरण ।

समय : 3-00 बजे अपरान्ह   स्थान : विश्वविद्यालय कार्यालय

उपस्थित सदस्यगण

1- प्रो० पी०डी० हजेला, कुलपति ----- अध्यक्ष
2- प्रो० एच०सी० सैनी, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय,
3- प्रो० भगवान दास, अधिष्ठाता, अभियांत्रिकीय संकाय,
4- श्री माधव मुरारी दुबे,
5- श्री लखन लाल राठौर,
6- श्री नरेश चंद जैन,
7- प्रो० एस०पी० अहलूवालिया,
8- प्रो० प्रेमशंकर,
9- डा० एन०पी०गुप्ता, प्राचार्य,
10- डा० जी०एम० खुरसंगे, प्राचार्य,
11- डा० जकीउद्दीन, प्राचार्य,
12- डा० आर०एस०बी०मेहता, प्राचार्य
13- डा० ओ०एन०त्रिपाठी, अतिरिक्त संचालक, शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि
14- डा० डब्ल्यू० डी० वेस्ट,
15- श्री डालचंद जैन

श्री आर०एन०धवन, कुलसचिव --- सचिव

कार्यवाही प्रारंभ होनें के पूर्व कुलपति जी ने अपनी अध्यक्षता में हो रही कार्यपरिषद् की प्रथम बैठक में सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंनें प्रसन्नता व्यक्त की कि उन्हें डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है । वे अपनी पूरी शक्ति से विश्वविद्यालय की प्रगति के लिये प्रयत्नशील रहेंगे । फिर भी इस कार्य में उनको विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी इकाइयों के सहयोग की आवश्यकता होगी । उन्होंने सदस्यों से विनम्रता पूर्वक उनके सहयोग की अपील की, जिससे वे एक जुट होकर विश्वविद्यालय को निरंतर प्रगति के मार्ग पर ले जा सकें ।

तत्पश्चात् वे उन मानदंडों को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करें, जिनके आधार पर इस सिद्धांत का क्रियान्वयन डा० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षकों पर भी लागू किया जा सके ।

पद क्रमांक 20 डा० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के अशैक्षणिक कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ एवं शिक्षक संघ से प्राप्त " स्व परिवार कल्याण निधि योजना " पर विचार ।

स्वीकृत ।

पद क्रमांक 21 श्री लखन लाल राठौर, कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार :-

"Resolved that since the charges of false statements made by Prof. R.G. Prasher regarding his qualifications and teaching/research experience, etc. have been proved his appointment be and is hereby cancelled with immediate effect."

श्री लखन लाल राठौर ने प्रस्ताव वापिस ले लिया ।

पद क्रमांक 22 गैस हाउस के प्रयोगशाला प्रेष्यों के संयुक्त अभ्यावेदन पर विचार कि उन्हें कार्यालय की कार्यावधि में पूरे समय भट्टी के सामने कार्य करना पड़ता है जो कि उनके स्वास्थ्य के लिये घातक है इसलिये वर्तमान में उन्हें घी क्रय करने हेतु देय भत्ते की राशि 5-00 को पुनरीक्षित कर एक किलो घी की कीमत प्रतिमाह भुगतान करने पर विचार ।

निर्णय लिया गया कि यह भत्ता गैस हाउस के प्रयोगशाला प्रेष्यों को 5/- प्रतिमाह प्रति प्रयोगशाला प्रेष्य के स्थान पर 1-1-1988 से (माह जनवरी88, जो फरवरी, 1988 में देय हो) 25/- प्रतिमाह के दर से प्रत्येक गैस हाउस के प्रयोग शाला प्रेष्यों को दिया जावे ।

पद क्रमांक 23 कार्यपरिषद् को सूचित करना कि अध्यादेश 5 की कण्डिका 2 (vi) के अधीन यू०एफ०एम० समिति में वर्ष 1987-88 पर कार्यपरिषद् की ओर से प्रो० पी०के० श्रीवास्तव, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय का कुलपति द्वारा म०प्र०वि०वि० अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत मनोनयन किया गया ।

स्वीकृत ।

डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय कर्मचारी स्व परिवार कल्याण निधि योजना

विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति दि.24.1.1988 के पद क्र. 20 द्वारा स्वीकृत।

1987 (1) यह योजना डा0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय कर्मचारी स्व परिवार कल्याण निधि योजना 1987 के नाम से जानी जावेगी।

(2) यह योजना इस विश्वविद्यालय के उन समस्त नियमित (शिक्षक,अधिकारी एवं कर्मचारी) कर्मचारियों को लागू मानी जावेगी जो इसके सदस्य होगें।

(3) यह योजना दिनांक 1.10.1987 से प्रभावशील होगी।

(4) यह योजना उन कर्मचारियों को लागू होगी जो विश्वविद्यालय के स्थायी/नियमित कर्मचारी होगें। कार्यभारित, तदर्थ एवं आकस्मिक निधि वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी इसके सदस्य नहीं रहेगें।

(5) यह योजना 1.10.1987 से उन सभी कर्मचारियों को लागू होगी जो इस दिनांक को विश्वविद्यालय की स्थायी सेवा में थे अथवा जिनकी नियुक्ति इस योजना के लागू होने के दिनांक के बाद होती है।

(6) इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी से 30 रूपया (तीस रूपये) प्रतिमाह अंशदान की कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक किवह सेवानिवृत्त नहीं होता।

(7) (अ) कटौती की गई समस्त धन राशि विश्वविद्यालय का स्टेट बैंक शाखा में रखी जावेगी।

(ब) प्रत्येक सदस्य से कटौती की गई राशि का हिसाब विश्वविद्यालय सदस्यवार टलग से रखेगा।

(8) कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की अवस्था में कर्मचारी के नामांकित व्यक्ति (नामिनी) की जो कि पति/पत्नि, पुत्र,पुत्री, माता/पिता इस वरियता के क्रम में आवेगें को 30,000.00 रूपये की राशि का भुगतान किया जावेगा। नामिनी फार्म न भरने अथवा नामिनी (नामांकित व्यक्ति) न होने की स्थिति में इसका भुगतान कर्मचारी के वैधानिक उत्ताधिकारी को किया जावेगा। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर इस योजना के अन्तर्गत भुगतान करने यदि योजना के खाते में भुगतान योग्य राशि जमा नहीं हो तो योजना के खाते में भुगतान योग्य राशि जमा होने पर ही भुगतान किया जाएगा।

(9) कर्मचारी की सेवा निवृत्ति/त्यागपत्र अथवा अन्य कारणों की अवस्था में कर्मचारी की मूल जमा समस्त अंशदान राशि बचत खाते की दर पर ब्याज सहित उसे लौटा दी जावेगी।

(10) मूल जमा राशि पर दिये जाने वाले ब्याज की गणना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जावेगी।

(11) (अ) अंशदान की कटौती कर्मचारी के पूरे सेवाकाल में निरंतर प्रतिमाह होगी।

(ब) अंशदान की कटौती उस माह नहीं होगी जिसमें कर्मचारी 15 दिवस अथवा उससे अधिक अवैतनिक/असाधारण अवकाश पर रहा है।

(स) जिस माह कटौती नहीं की गई उस माह कर्मचारी को ब्याज पाने की पात्रता नहीं होगी।

(12) इस योजना के सदस्य बनने हेतु वर्तमान कर्मचारियों जिनकी आयु 1.10.1987 को 55 वर्ष से कम है को विकल्प पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक बार विकल्प का प्रयोग अन्तिम होगा तथा किसी भी स्थिति में दिया गया विकल्प बदला न जा सकेगा और न ही इस पर कोई विचार किया जा सकेगा।

(13) 1.10.1987 के बाद नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से 1 माह के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(14) जिन कर्मचारियों का अंश लगातार तीन माह तक कट जाएगा उन्हें ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
===================================

विश्वविद्यालय कार्यालय,
सागर, दिनांक 1-11-1993

क्रमांक : लेखा/स्व0परि0क0/2264

:: सू-च-ना ::

समस्त अधिकारियों/शिक्षकों तथा कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि स्व परिवार कल्याण योजना के सदस्यों की मासिक किश्त की राशि प्रतिमाह अनिवार्य रूप से जमा होना चाहिए । यदि कोई सदस्य अध्ययन अवकाश/धारणाधिकार (Lien) अवैतनिक अवकाश, अथवा स्थानान्तरण पर अन्यत्र जाता है तो किश्त की राशि नियमित रूप से भेजकर जमा करने का दायित्व संबंधित अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी का होगा ।

यदि लगातार तीन माह तक किसी सदस्य की मासिक किश्त जमा नहीं होती है तो उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।

(डॉ0 कृष्णजी तिवारी)
कुलसचिव,
डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर ।

प्रतिलिपि :-

(1) समस्त शिक्षण विभाग - डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ।
(2) समस्त अधिकारीगण - डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ।
[illegible] - कृपया अधीनस्थ शिक्षकों/कर्मचारियों को आवश्यकीय रूप से टीप करायें ।

(डॉ0 कृष्णजी तिवारी)
कुलसचिव,
डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर ।

/आर.शास्त्री/

डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

विश्वविद्यालय कार्यालय,
सागर, दिनांक 9/10-11-1994

क्रमांक : लेखा/स्व-परि0क0/7874

:: सू-च-ना ::

इस कार्यालय के क्रमांक : लेखा/स्व-परि0क0/2264 दिनांक 1-11-1993 के तारतम्य में पुन: सूचित किया जाता है कि स्व-परिवार कल्याण योजना के सदस्यों की मासिक किश्त की राशि प्रतिमाह अनिवार्य रूप से जमा होना चाहिए यदि कोई सदस्य अध्ययन अवकाश/धारणाधिकार (Lien), अवैतनिक अवकाश अथवा स्थानान्तरण पर अन्यत्र जाता है तो किश्त की राशि नियमित रूप से भेजकर जमा करने का दायित्व संबंधित अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी का होगा ।

यदि लगातार तीन माह तक किसी सदस्य की मासिक किश्त जमा नहीं होती है तो उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी । पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

(एस0एस0 दीक्षित)
कुलसचिव,
डा0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रतिलिपि :-

(1) समस्त शिक्षण विभाग - डा0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ।
(2) समस्त अधिकारीगण - डा0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ।
(3) समस्त शाखा प्रभारी - कृपया अधीनस्थ शिक्षकों/कर्मचारियों को आवश्यकीय रूप से टीप करायें ।

(एस0एस0 दीक्षित)
कुलसचिव,
डा0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

डाक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०)

क्र: लेखा/स्व•क•निधि•यो•/1052

विश्वविद्यालय कार्यालय
सागर दिनांक 11•5•99

// संशोधित अधिसूचना //

अधिसूचना क्रमांक लेखा/स्व•क•निधि•यो•/992 दिनांक 5/7•5•99 को निरस्त किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के तारतम्य में पुन: समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि स्वपरिवार कल्याण निधि योजना के "नामांकन पत्र" दो प्रतियों में तथा एक प्रति में भविष्य निधि का नामांकन पत्र भरना अनिवार्य है। इसकी एक प्रति आवश्यक रूप से सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाना है।

अत: उक्त संशोधित अधिसूचना के आधार पर 15 दिवस के भीतर नामांकन पत्र भरकर लेखा शाखा में मय सूची के कृपया प्रस्तुत करें।

(डेविड डेनियल)
वित्ताधिकारी
डा०हरीसिंह गौर वि०वि०सागर

प्रतिलिपि:-

1- समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग डा०हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
2- अधिष्ठाता/छात्र कल्याण
3- विश्वविद्यालय यंत्री/सहायक यंत्री जल एवं विद्युत
4- सुरक्षा अधिकारी
5- समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव
6- प्रौढ़ शिक्षा विभाग
7- कुलपति के सचिव
8- कुलसचिव के निजी सहायक
9- प्रभारी पुस्तकालय अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरु पुस्तकालय
10-समस्त शाखा प्रभारी: कृपया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ~~नोट~~ करावें।

(डेविड डेनियल) 5/99
वित्ताधिकारी
डाक्टर हरीसिंह गौर वि०वि०सागर

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

क्रमांक : लेखा/स्व-परि.क./807

विश्वविद्यालय काय
सागर, दिनांक 20-4-2
20-4-2000

:: सू-च-ना ::

इस कार्यालय के क्रमांक : लेखा/स्व-परि.क./271 दिनांक 5/7-2-20 के तारतम्य में पुन: सूचित किया जाता है कि स्व-परिवार कल्याण निधि योजन के सदस्यों की मासिक किश्त की राशि प्रतिमाह अनिवार्य रूप से जमा होना चाहिए । यदि कोई सदस्य अध्ययन अवकाश/धारणाधिकार (Lien), अवैतनिक अवकाश अथवा स्थानान्तरण पर अन्यत्र जाता है तो किश्त की राशि नियमित रूप से भेजकर जमा करने का दायित्व संबंधित अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी का होग

यदि लगातार तीन माह तक किसी सदस्य की मासिक किश्त जमा नहीं होती है तो उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी । पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ।

प्रतिलिपि :-

1- अधिष्ठाता, समस्त संकाय
2- अध्यक्ष, समस्त शिक्षण विभाग
3- समस्त अधिकारीगण/वित्ताधिकारी
4- कुलपति के निजी सचिव
5- समस्त शाखा प्रभारी

} कृपया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को टीप करावें ।

6- प्रभारी, वेतन/भविष्य निधि/पेंशन प्रकोष्ठ/बजट/एफ.बी.एल.आई.सी./ भुगतान/अवकाश शाखा

(डेविड डेनियल) 13/4/2000
वित्ताधिकारी,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ।

प्रति

डा० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

पत्र क्र० लेखा/स्व-परि·क·यो·/3/2001 सागर, दिनांक 5.1.2005

// सूचना //

इस कार्यालय के पत्र क्र०लेखा/स्व-परि·क·/2264 दि·1·11·93, पत्र क्र०लेखा/स्व-परि·क·/7874 दिनांक 2-10-11·94 एवं पत्र क्र० लेखा/स्व-परि·क·/807 दिनांक 20·4·2000 सूचना जारी की गई थी इसी संदर्भ में पुनः एवं अंतिम बार विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि स्व-परिवार कल्याण योजना के सदस्यों की मासिक किश्त की राशि प्रतिमाह अनिवार्य रूप से जमा होना चाहिए। यदि कोई सदस्य अध्ययन अवकाश/धारणाधिकार/lien/अवैतनिक अवकाश अथवा स्थानान्तरण पर अन्यत्र जाता है तो किश्त की राशि नियमित रूप से भेजकर जमा करने का दायित्व संबंधित शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों का होगा।

यदि लगातार तीन माह तक किसी सदस्य की मासिक किश्त जमा नहीं होती है तो उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(डा० परीक्षित सिंह)
कुलसचिव
डा०हरिसिंह गौर वि·वि·सागर

प्रतिलिपि:-

1· अधिष्ठाता, समस्त संकाय
2· विभागाध्यक्ष समस्त शिक्षण विभाग
3· समस्त अधिकारीगण/वित्ताधिकारी
4· समस्त विभाग सूचना फलक
5· कुलपति के निजी सचिव
6· समस्त शाखा प्रभारी

} कृपया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से टीप करावें।

7· प्रभारी-वेतन शाखा/भविष्य निधि/पेंशन प्रकोष्ठ/बजट/एफ·बी·एल·आई·एस·/भातान/अवकाश शाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा०भगवानदास)
वित्ताधिकारी
डा०हरिसिंह गौर वि·वि·सागर(म·प्र·)

डॉक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)
विश्वविद्यालय कार्यालय, सागर (म.प्र.) 470 003
Vishwavidyalaya Office, Sagar, MP 470 003
E Mail- registrar31@rediffmail.com
Phone : 07582-264228, 264236 Fax -264236, 264163

क्रमांक : लेखा / स्व.प.क.नि.यो. / 3 / 855 दिनांक 24 ,06.2011

अधिसूचना

स्व–परिवार कल्याण योजना, जो कि विश्वविद्यालय के कर्मियों द्वारा संचालित है, उसमें निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :–

क्रमांक	स्थिति	वर्तमान राशि व स्थिति	परिवर्तित राशि व स्थिति
01.	सेवा निवृत्त होने पर	कुल जमा राशि व ब्याज (नियमानुसार)	– तदैव –
02.	सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर	रूपये 3,00,000.00 (तीन लाख)	रूपये 5,00,000.00 (पाँच लाख)

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की माह जून, 2011 के वेतन से रूपये 300.00 के स्थान पर रूपये 500.00 मासिक कटौती की जावेगी।

इसके साथ ही परिवर्तित दरों से किया जाने वाला भुगतान तीन माह पश्चात् अर्थात 01–09–2011 से लागू होगा। यदि किसी कर्मचारी का आकस्मिक निधन तीन माह की अवधि के अन्दर अर्थात् 31–08–2011 के पूर्व हो जाता है, तो उसे बढ़ी हुई दर का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। उसे पूर्व में प्रभावी दर के आधार पर रूपये 3,00,000.00 का ही भुगतान देय होगा।

अन्य नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के प्रस्ताव क्रमांक 20 दिनांक 24–01–1988 के अनुसार ही रहेगी।

स्व–परिवार कल्याण निधि में विश्वविद्यालय का कोई आर्थिक सहयोग नहीं होता है।

कुलसचिव
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपिः
1. कुलपति जी के सचिव – कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निजी सहायक – कुलसचिव को सूचनार्थ।
3. समस्त प्रशासनिक डीन व डीन अध्ययन शाला
4. अध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक
5. परीक्षा नियंत्रक
6. समस्त उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव
7. प्रभारी वेतन / एफ.बी.एल.आई.एस. – उनके कार्यालय में कर्मियों को सूचित कराने का कष्ट करें।
8. समिति शाखा – कृपया उक्त को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
9. विश्वविद्यालय वेबसेल – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A CENTRAL UNIVERSITY)

विश्वविद्यालय कार्यालय, सागर (म.प्र.) – 470 003

Vishwavidyalaya Office, Sagar, (M.P.) - 470 003

Phone : 07582-264228, 264236 - Fax : 264236, 264163

क्रँ. : वित्त–लेखा/स्व.प.क.नि.यो./3/2013/128 दिनांक: 24-12-2013

अधिसूचना

स्व–परिवार कल्याण योजना, जोकि विश्वविद्यालय के कर्मियों द्वारा संचालित है, उसमें निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :

क्रँ.	स्थिति	वर्तमान राशि व स्थिति	परिवर्तित राशि व स्थिति
1-	सेवानिवृत्त होने पर	कुल जमा राशि व ब्याज (नियमानुसार)	– तदैव –
2-	सेवा मे रहते हुए मृत्यु होने पर	रूपये 5,00,000=00 (पाँच लाख)	रूपये 7,00,000=00 (सात लाख)

इस योजना के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की माह दिसम्बर, 2013 के वेतन से रू 500=00 के स्थान पर रू. 700=00 मासिक कटौती की जावेगी।

इसके साथ ही परिवर्तित दरों से किया जाने वाला भुगतान तीन माह पश्चात अर्थात 01.03.2014 से लागू होगा। यदि किसी कर्मचारी का आकस्मिक निधन तीन माह की अवधि के अंदर अर्थात 28.02.2014 के पूर्व हो जाता है, तो उसे बढ़ी हुई दर का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। उसे पूर्व मे प्रभावी दर के आधार पर रू. 5,00,000=00 (पाँच लाख रू मात्र) का ही भुगतान देय होगा।

अन्य नियम एवं शर्तें वि.वि. कार्यपरिषद के प्रस्ताव क्रं. 20 दि. 24.01.1988 के अनुसार ही रहेगी।

स्व–परिवार कल्याण निधि में विश्वविद्यालय का कोई आर्थिक सहयोग नहीं होता है।

आदेशानुसार,

23/12/13

कुलसचिव

डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपि :

1. कुलपति जी के सचिव–कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निजी सहायक–कुलसचिव को सूचनार्थ।
3. समस्त प्रशासनिक डीन एवं डीन अध्ययनशाला।
4. अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक।
5. परीक्षा नियत्रक।
6. समस्त उपकुलसचिव एव सहायक कुलसचिव।
7. प्रभारी–वेतन/एफ.बी.एल.आई.एस. उनके कार्यालय मे कर्मियो को सूचित कराने का कष्ट करें।
8. समिति शाखा–कृपया उक्त को कार्यपरिषद की आगामी बैठक मे पुष्टि हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
9. विश्वविद्यालय वेबसेल–वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(A CENTRAL UNIVERSITY)

पत्र क्र0 लेखा/स्व प.क.नि.यो./2019/14

दिनांक 11 13 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

स्व परिवार कल्याण निधि योजना जो कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा संचालित है, उसमें निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है :-

क्र0	स्थिति	वर्तमान जमा राशि व स्थिति	परिवर्तित राशि व स्थिति
1	सेवा निवृत्त/त्यागपत्र अथवा अन्य कारणों से	कुल जमा राशि पर बचत खाते की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज सहित भुगतान	कुल जमा राशि पर बचत खाते की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज सहित भुगतान
2	सेवा अवधि में मृत्यु होने पर	रूपये 7,00,000-00 (सात लाख)	10,00,000-00 (दस लाख)

इस योजना में सम्मिलित शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की माह दिसम्बर 2019 के वेतन से रू. 700-00 के स्थान पर रू. 1000-00 मासिक कटौती की जावेगी।

इसके साथ ही परिवर्तित दरों से किया जाने वाला भुगतान तीन माह पश्चात् अर्थात 01.03.2020 से लागू होगा। यदि किसी कर्मचारी का आकस्मिक निधन तीन माह की अवधि के अंदर अर्थात 29.2.2020 तक हो जाता है, तो उसे बढ़ी हुई दर का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। उसे पूर्व में प्रभावी दर के आधार पर रू. 7,00,000-00 (सात लाख रूपये मात्र) का ही भुगतान देय होगा।

अन्य नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के प्रस्ताव क्र. 20 दिनांक 24 जनवरी 1988 के अनुसार ही रहेगी।

स्व-परिवार कल्याण निधि योजना में विश्वविद्यालय का कोई आर्थिक सहयोग नहीं होता है।

आदेशानुसार,

11/12

प्रभारी कुलसचिव
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रतिलिपिः-

1. कुलपति जी के सचिव- कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निजी सहायक-कुलसचिव को सूचनार्थ।
3. समस्त प्रशासनिक डीन एवं डीन अध्ययनशाला।
4. अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक
5. परीक्षा नियंत्रक.
6. समस्त उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव
7. प्रभारी-वेतन/एफ.बी.एल.आई.एस. अग्रिम कार्यवाही कराने हेतु।
8. समिति शाखा-कृप्या उक्त को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
9. विश्वविद्यालय वेबसेल-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

11/12

प्रभारी कुलसचिव
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर